भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3480
उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

विद्यालयों में नाश्ते का प्रावधान

3480. श्री सप्तगिरी उलाकाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के साथ-साथ सुबह के नाश्ते का प्रबंध् शुरू कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) अब तक राज्य-वार कितने बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत शमिल किया गया है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कक्षा 1-8 में अध्ययनरत बच्चे अथवा 6-14 आयु वर्ष समूह के बच्चे स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल की छुट्टी के दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन नि:शुल्क मध्याह्न भोजन के पात्र हैं, ताकि अधिनियम में विनिर्दिष्ट पोषकतत्व मानकों की पूर्ति की जा सके। तथापि, कुछ राज्य और संघ राज्यक्षेत्र विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त मदें, जैसे- दूध, अंडे, फल आदि प्रदान करते हैं।

(ग): स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे आम तौर पर मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के रूप में जाना जाती है, एक सतत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो समग्र शिक्षा द्वारा समर्थित मदरसों तथा मकतबों सहित सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों को कक्षा 1-8 में अध्ययनरत सभी स्कूली बच्चों को शामिल करती है। औसत आधार पर वर्ष 2018-19 के दौरान 11.34 लाख स्कूलों में अध्ययनरत

9.17 करोड़ बच्चों को प्रत्येक स्कूल कार्य दिवस में गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान किया गया। इन बच्चों का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक** पर दिया गया है।

*****

संलग्नक

''विद्यालयों में नाश्ते का प्रावधान'' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सप्तगिरी उलाका द्वारा दिनांक 15.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3480 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

वर्ष **2018-19** के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के तहत औसत आधार पर शामिल बच्चों का राज्य और संघ राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	शामिल बच्चे
1	आंध्र प्रदेश	3079772
2	अरुणाचल प्रदेश	130148
3	असम	4049861
4	बिहार	10704608
5	छत्तीसगढ़	2557512
6	गोवा	142387
7	गुजरात	4665673
8	हरियाणा	1251854
9	हिमाचल प्रदेश	455746
10	जम्मू और कश्मीर	542439
11	झारखंड	2759668
12	कर्नाटक	4281055
13	केरल	2600154
14	मध्य प्रदेश	4865379
15	महाराष्ट्र	8990150
16	मणिपुर	147009
17	मेघालय	526978
18	मिजोरम	125996
19	नागालैंड	160839
20	ओडिशा	3992871
21	पंजाब	1433243
22	राजस्थान	4688607
23	सिक्किम	53676
24	तमिलनाडु	4362725
25	तेलंगाना	1701153
26	त्रिपुरा	345063
27	उत्तराखंड	10558209
28	उत्तर प्रदेश	559172
29	पश्चिम बंगाल	10877644
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	22323
31	चंडीगढ़	41170
32	दादरा एवं नगर हवेली	32819
33	दमन और दीव	15001
34	दिल्ली	975186
35	लक्षद्वीप	6884

36	पुडुचेरी	44131
	कुल	**91747104**

*****